न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 234/2020 जिला दौसा ।

1. चतरया पुत्र हाबूड्या
2. लोहडिया पुत्र हाबूड्या
   जाति मीना निवासी ग्राम थूमडी (खटियारा) तहसील दौसा जिला दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

अपीलान्टस्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा वर्तमान तहसील नांगल राजावतान।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 06.10.2006 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 289/2005

उपस्थित–

1. अधिवक्ता अपीलांटस् एड. श्री उमेश गौड।
2. रेस्पोडेंट् की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक–16.11.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 06.10.2006 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 25.08.2020 प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा शीर्षक प्रार्थना पत्र सरकार बनाम चतरया वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2006 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चतरया, लोहडया पिता हाबूडा मीना निवासी थूमडी जिला दौसा को आवंटन सलाहकार समिति दौसा द्वारा दिनांक 08.06.1989 को आराजी ख.न. 1240/9 रकबा 0.75 है0 तन ग्राम थूमडी भूमि का किये गये आंवटन को निरस्त किया गया।
3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.10.2006 से व्यथित होकर अपीलांटस् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपीलान्टस् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2006 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलांटस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1240/9 रकबा 75 ऐयर वाके ग्राम थूमडी (खटियारा) तत्कालीन तहसील दौसा वर्तमान तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा का आवंटन भू आवंटन सलाहकार समिति दौसा द्वारा अपीलांटस् के पक्ष में दिनांक 08.06.1989 को किया गया था। अपीलांटस् को दिनांक 01.7.1989 को कब्जा सम्हलाया तथा दिनांक 11.9.1989 को पटटा (सनद) आवंटन प्रचलित किया गया। आवंटन आदेश की पालना में उक्त कार्यवाही सम्पन्न होने के बाद अपीलांटस के नाम नामान्तकरण गैर खातेदारी खोला गया। अपीलांटस् का नाम अब तक उक्त आराजी पर गैर खातेदार के रूप में अंकित चला आ रहा है। अपीलांटस् उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन आदेश से पूर्व से काबिज होकर काश्त करते है। उपतहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 18.01.2002 को जिला कलक्टर दौसा न्यायालय में प्रार्थना पत्र अ.नि. 14(4) रा.अ.कृ.भू.आ.नि. 1990 प्रस्तुत कर अपीलांटस् के पक्ष में पारित आवंटन आदेश निरस्त फरमाकर भूमि बहक सरकार घोषित करने की प्रार्थना असत्य तथ्यो एवं कथनो पर आधारित चाही गई। जिला कलेक्टर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

न्यायालय दौसा ने दिनांक 10.10.2005 को आदेश पारित फरमाकर प्रकरण राज. सरकार बनाम चतरया आदि न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा को स्थानान्तरित फरमा दिया गया। न्यायालय ने पक्षकारगण को दिनांक 21.11.2005 को उक्त न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश फरमाया जबकि अपीलांटस की तलबी न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में नही हुई थी। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांटस को तामिल नही हुई। अपीलांटस् को जानकारी नही होने के कारण अपीलांटस् न्यायालय में उपस्थित नही हुये। न्यायालय द्वारा प्रचलित सूचना पत्रो पर अपीलांटस् को सूचना पत्रो पर अपीलांटस् को सूचना नियमानुसार नही होने के बावजूद न्यायालय ने अपीलांटस की अनुपस्थिति दर्ज कर प्रश्नगत आदेश द्वारा आवंटन आदेश निरस्त फरमाकर विधिक प्रकियात्मक त्रुटि की है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय आर.आर.टी 2016(1) पृष्ठ 82 पर व्यवस्था फरमाई है कि आवंटी आवंटन के तीन वर्ष बाद आवंटित भूमि पर स्वतः खातेदार हो जाता है। न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश की पालना के लिये 12 वर्ष की समय निश्चित न्यायालय आदेश दिनांक 06.10.2006 की पालना आज दिन तक नही हुई है। राज. सरकार द्वारा भूमिहीन व्यक्तियो को अनाधिकृत राजकीय कृषि भूमि का आवंटन कृषि उत्पादन बढाने के लिय करना उददेश्य था। अपीलांटस् अनुसूचित जन जाति के अनपढ अशिक्षित ग्राम परिवेश के व्यक्ति है जिनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा बिना सूचना सुनवाई एवं बिना साक्ष्य पारित प्रश्नगत आदेश निरस्तनीय है। आपेक्षित आदेश दिनांक 06.10.2006 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो एवं सुस्थापित विधि के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2006 को अपास्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.10.2006 का है लेकिन अपीलांटस को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2002(1) RRT 153, 2008(1) RRT 610, 14-04-2019 RRT 215, 1996 RRD 452, 1998 RBJ(5) 499, 1999 RBJ(6) 92, 2004 RBJ(11) 38, 2006 RBJ(13) 796, 2007 RBJ(14) 687, 2008 RBJ(15) 435, 2009 RBJ(16) 201, 2009 RBJ(16) 112, 2009 RBJ(16) 258, 2002 RLT-part , 2015 DNJ (sc) 593, 2016(3) CJ(CIV) (RAJ) 1822, 2016(3) CJ(CIV) (RAJ) 1450 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि उपतहसीलदार दौसा ने चतरया, लोहडया पिता हाबूडा मीना निवासी थूमडी जिला दौसा को भू–आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी) दौसा द्वारा आराजी खसरा नमबर 1240/9 रकबा 0.75 है0 तन ग्राम थूमडी भूमि का आवंटन दिनांक 08.06.01989 को किया गया है, को निरस्त करवाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.1989 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलांटस् द्वारा अपीलाधीन आदेश की अपील अत्यधिक विलम्ब लगभग 14 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 5 में विलम्ब के जो कारण उल्लेखित किये गये है वे काल्पनिक तथा अस्पष्ट है। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारीज की जावे।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2006 की जानकारी दिनांक 18.08.2020 को अपीलांटस द्वारा अपने नाम अंकित गैर खातेदारी का नामान्तकरण खातेदार के रूप में अंकित करवाने हेतु तहसील कार्यालय नांगल राजावतान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसील कार्यालय में हुई। अपीलांटस् ने दिनांक 18.08.2020 को नकल आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 19.8.2020 को नकल आदेश व अभिलेख प्राप्त किया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

अपीलांटस् का उक्त तथ्य स्वीकार नही किया जा सकता है क्योकि अपीलांटस् द्वारा अपीलाधीन आदेश की अपील अत्यधिक विलम्ब लगभग 14 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा उक्त अवधि में अपीलांटस् को अपीलाधीन आदेश की जानकारी का अभाव हो यह संभव नही हैं। अपीलांटस् द्वारा विलम्ब का कोई स्पष्ट एवं पर्याप्त कारण भी अंकित नही किया गया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र 05 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्य पर्याप्त एवं समुचित नही होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अतः अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारीज किया जाता है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, भू–आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी) दौसा द्वारा चतरया, लोहडया पिता हाबूडा मीना निवासी थूमडी जिला दौसा को आराजी ख.न. 1240/9 रकबा 0.75 है0 तन ग्राम थूमडी भूमि का आवंटन दिनांक दिनांक 08.06.1989 को किया गया है को निरस्त करने हेतु उपतहसीलदार दौसा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन कर विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2006 पारित कर चतरया, लोहडया पिता हाबूडा मीना निवासी थूमडी जिला दौसा को आवंटन सलाहकार समिति दौसा द्वारा दिनांक 08.06.1989 को आराजी ख.न. 1240/9 रकबा 0.75 है0 भूमि का किये गये आंवटन को निरस्त किया गया है। हम अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2006 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है तथा अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस् की अपील मियाद बाधित होने तथा गुणावगुण रहित होने के आधार पर अपीलांटस् अपील अस्वीकार कर खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2006 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner